अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या ११२ । आप सं० 845 दि० 12.04.2013

# सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० ......567/2013 आवेदन सं० ......567/2013

चूंकि श्री Secretary Lok Vikash Trust ........ संपत्ति के सम्बन्ध में ........ प्रमाण-पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण २)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता.....1983.....से ता.....Uptodate.....तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है ।

| क्रम सं० | क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्तावेज की प्रावष्ट के प्रति निर्देश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द | वर्ष | पृष्ठ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| | Mouza- Panchrukhi, No- 220, old khata no- 28 (new-38, 139) plot no- 469 (New-649, 650, 651, 1126), & Khata No- 12 (new- 92), plot no- 468 (new-648). Total Area- 86 decimal. Land purchased in the name of Kumar B.ED. College, Panchrukhi vide deed No- 830 dt. 13.02.2012. | | | | | | | |

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें । Anish Kumar.

ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो ।
२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - Clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- NKSinh

(पदनाम) - Clerk

कार्यालय D.S.R. Office Dhanbad, मुहर

तारीख 12.04.2013

[signature]
निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
12.04.2013

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरुरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहिया और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चुँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चुँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चुँकि उसके द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।